कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची।

(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

तम्बाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना (Spitting) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र–तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गम्भीर बीमारियाँ यथा कोरोना (COVID-19) इन्सेफ्लाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रबल रहती है। तम्बाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "कोरोना वायरस (COVID-19)" को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं। भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरूद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रण फैलना संभाव्य हो– उस व्यक्ति को छः मास अवधी तक का कारावास एवं/अथवा रू0 200/– (दो सौ) तक के जूर्माना से दंडित किया जा सकता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लघंन करने पर दंड स्वरूप 200/– रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

विदित हो कि तम्बाकू सेवन के उपरान्त उसे यत्र–तत्र थूकने को निषिद्व करने से वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के "कोरोना (COVID-19)" जैसी महामारी से बचाने तथा "स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत" अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन–स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

उक्त के आलोक में जन–स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रांची जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षनिक संस्थान एवं परिसर तथा सभी थाना परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इस आशय का बोर्ड/टिन प्लेट का प्रारुप आदेश के साथ संलग्न है। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करते है तो उल्लंघन कर्त्ताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

राय महिमापत रे
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रांची।